

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 839 / एफ 8-93/35/15/2024

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/06/24

प्रति,

संचालक,
पशु चिकित्सा सेवायें,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय:-

राज्य योजना अंतर्गत क्रियान्वित राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना का संशोधन विषयक।

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्र. 4161/व्यू.मू.यो./ब.उ.वि.यो./2023-24/नवा रायपुर, दिनांक 21.06.2023.
2. विभागीय पत्र क्र. 587-588/एफ 8-93/35/राबउवि/2017 नवा रायपुर, दिनांक 02.05.2017

—00—

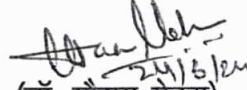
विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र 01 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष के कुल बजट के अतिरिक्त बजट प्रावधान की मांग नहीं करने के शर्ताधीन राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना में संलग्न अनुसार संशोधन की सहमति संसूचित की गई है।

उक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. F-2022-35-00078/ब-5 दिनांक 19.06.2024 द्वारा संसूचित की गई है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- अनुमोदित राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)


(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

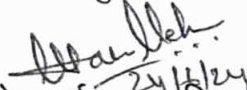
पू. क्रमांक 840 / एफ 8-93/35/15/2024

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/06/24

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन, (भारसाधक मंत्री, पशुधन विकास विभाग), मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. कलेक्टर, समस्त जिला (छ.ग.)।
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, बजट-5 वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर।

o/c


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना

क	घटक का नाम	पूर्व अनुमोदित योजना	संशोधन पश्चात योजना			
1	इकाई (घटक)	30 बकरी एवं 2 उन्नत नस्ल के बकरे	इकाई में निम्नानुसार घटक सम्मिलित है- योजना स्व-वित्तीय एवं बैंक लिंकड है।			
			क.	विवरण/ संख्या/दर	इकाई अन्तर्गत घटकवार अधिकतम राशि (लाख में)	अनुदान राशि की उपलब्धता
			1	उच्च नस्ल का 2 बकरा एवं 13 बकरियों का क्रय @ रु. 7500 प्रति बकरी @ रु. 12,000 प्रति बकरा	1.215 लाख रु.	क्रयित बकरे का वजन न्यूनतम 20 किलो एवं बकरी का वजन 15 किलो से कम नहीं होना चाहिये
			2	दाना/पानी हेतु बर्तन परिवहन एवं अन्य विविध व्यय	0.073 लाख रु.	
			3	बीमा 1 वर्ष के लिए संख्या 15 (2 बकरा + 13 बकरियों) हेतु पशु कीमत का @7.5%	0.091 लाख रु.	बकरी इकाई हेतु बीमा की राशि अधिक होने पर अतिरिक्त राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा
			4	1. बकरी आहार 03 माह के लिए @ 250 ग्राम प्रति बकरी/दिन रु. 25.00 प्रति किलो 2. मेमना आहार 03 माह के लिए (13 बकरियों से @13 मेमने/ 20% मृत्युदर पश्चात) @ 125 ग्राम प्रति मेमना /दिन रु. 25.00 प्रति किलो	0.084 + 0.037 = 0.12 लाख रु.	3 माह पश्चात पशु आहार की समाप्ति पर हितग्राही द्वारा स्वयं के व्यय से बकरी इकाई हेतु आहार क्रय किया जावेगा
			अनुदान हेतु इकाई लागत राशि – योग =			1.50 लाख रु.
			नोट :- बकरी शेड निर्माण हेतु मापदण्ड :- बकरी इकाई स्थापना के लिये दिये गये मापदण्ड अनुसार शेड होना अनिवार्य है।			
			बकरी शेड- 13 बकरी हेतु भूमि की आवश्यकता :- 13 x 12 वर्ग फिट = 156 वर्ग फिट, 2 बकरा हेतु :- 2 x 15 वर्ग फिट = 30 वर्ग फिट 13 मेमनो हेतु :- 13 x 8 वर्ग फिट, = 104 वर्ग फिट, कुल आवश्यक भूमि - 290 वर्ग फिट		1. शेड नहीं होने की स्थिति में हितग्राही/स्व सहायता समूह द्वारा मापदण्ड अनुसार बकरी शेड का निर्माण स्वयं के व्यय, बैंक ऋण अथवा अन्य योजनाओं के अभिसरण से किया जावेगा। इस हेतु हितग्राही/स्व सहायता समूह के पास स्वयं अथवा लीज पर भूमि उपलब्ध होना आवश्यक होगा। गौठान में अन्य योजनाओं के अभिसरण से निर्मित शेड में इकाई स्थापित की जा सकेगी।	

(हस्ताक्षर)

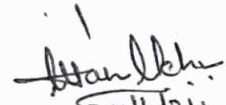
क	घटक का नाम	पूर्व अनुमोदित योजना	संशोधन पश्चात योजना																								
2	इकाई लागत (प्रति इकाई)	रूपये 1.00 लाख	रूपये 1.50 लाख रु.																								
3	पूँजी अनुदान (सहायता का प्रकार)	सामान्य श्रेणी हितग्राही हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु.0.25 लाख अ.जा./अ.ज.जा हितग्राही हेतु कुल वित्तीय लागत का 33.3 प्रतिशत, अधिकतम रु. 0.33 लाख (उपरोक्तानुसार इकाई घटक हेतु)	सामान्य श्रेणी हितग्राही हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 37500.00 अ.जा./अ.ज.जा. हितग्राही हेतु कुल वित्तीय लागत का 33.3 प्रतिशत, अधिकतम रु. 50000.00 (उपरोक्तानुसार इकाई घटकवार सहायता अनुदान राशि) घटकवार पूँजी अनुदान <table border="1"> <thead> <tr> <th>क</th><th>घटक का नाम एवं लागत(राशि लाख में)</th><th colspan="2">अनुदान (राशि लाख में)</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>अजा/अज जा</th><th>सा. /अपिव</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>बकरी एवं बकरा क्रय - 1.215 लाख रु.</td><td>0.405 लाख रु.</td><td>0.304 लाख रु.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>शेड निर्माण -</td><td colspan="2">मनरेगा या अन्य विभागों की योजनाओं से या हितग्राही द्वारा स्वयं के व्यय पर</td></tr> <tr> <td>3</td><td>बीमा, पशु आहार, दानापानी बर्तन आदि - 0.285 लाख रु.</td><td>0.095 लाख रु.</td><td>0.071 लाख रु.</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल इकाई लागत अनुसार कुल सहायता अनुदान राशि (बकरी शेड की लागत राशि घटाकर इकाई लागत)</td><td>0.50 लाख रु.</td><td>0.375 लाख रु.</td></tr> </tbody> </table>	क	घटक का नाम एवं लागत(राशि लाख में)	अनुदान (राशि लाख में)				अजा/अज जा	सा. /अपिव	1	बकरी एवं बकरा क्रय - 1.215 लाख रु.	0.405 लाख रु.	0.304 लाख रु.	2	शेड निर्माण -	मनरेगा या अन्य विभागों की योजनाओं से या हितग्राही द्वारा स्वयं के व्यय पर		3	बीमा, पशु आहार, दानापानी बर्तन आदि - 0.285 लाख रु.	0.095 लाख रु.	0.071 लाख रु.	कुल इकाई लागत अनुसार कुल सहायता अनुदान राशि (बकरी शेड की लागत राशि घटाकर इकाई लागत)		0.50 लाख रु.	0.375 लाख रु.
क	घटक का नाम एवं लागत(राशि लाख में)	अनुदान (राशि लाख में)																									
		अजा/अज जा	सा. /अपिव																								
1	बकरी एवं बकरा क्रय - 1.215 लाख रु.	0.405 लाख रु.	0.304 लाख रु.																								
2	शेड निर्माण -	मनरेगा या अन्य विभागों की योजनाओं से या हितग्राही द्वारा स्वयं के व्यय पर																									
3	बीमा, पशु आहार, दानापानी बर्तन आदि - 0.285 लाख रु.	0.095 लाख रु.	0.071 लाख रु.																								
कुल इकाई लागत अनुसार कुल सहायता अनुदान राशि (बकरी शेड की लागत राशि घटाकर इकाई लागत)		0.50 लाख रु.	0.375 लाख रु.																								
4	अनुदान की पात्रता	1. योजना समस्त वर्गों के लिये है। 2. आवेदक छ.ग. मे कम से कम 5 वर्षों से निवासरत हो। 3. ऋण से लिंकेज (राष्ट्रीयकृत/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) बाध्यता होगी। — — 4. स्थापित इकाई को लगभग 3 वर्ष तक संचालित किये जाने हेतु अनुबंध पत्र आवेदक एवं विभाग के बीच संपादित किया जाना होगा।	1. योजना समस्त वर्गों के लिये है। 2. आवेदक छ.ग.का मूल निवासी हो। 3. योजना स्व-वित्तीय एवं बैंक लिंक्ड है। 4. गौठान में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को सामूहिक बकरी पालन व्यवसाय हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। 5. प्रति इकाई हितग्राही/स्व-सहायता समूह के सदस्य (प्रति सदस्य) की अंशदान राशि सामान्य हेतु राशि रु. 112500.00 तथा अ.जा./अ.ज.जा./वर्ग हेतु राशि रु. 100000.00 है। उक्त राशि हितग्राही बैंक ऋण से लिंकेज (राष्ट्रीयकृत/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) कर अथवा स्व वित्तीय के माध्यम से वहन कर सकेगा। 6. स्थापित इकाई को लगभग 3 वर्ष तक संचालित किये जाने हेतु अनुबंध पत्र आवेदक एवं विभाग के बीच संपादित किया जाना होगा।																								

क	घटक का नाम	पूर्व अनुमोदित योजना	संशोधन पश्चात योजना
		5. बैंक से इकाई स्थापना सत्यापन प्रमाण पत्र एवं अनुदान विमुक्त करने हेतु मांग पत्र तथा आवेदक से अनुबंध पत्र एवं इकाई स्थापना संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर ही आवेदक अनुदान हेतु पात्र होगा। 6. संयुक्त परिवार से एक ही व्यक्ति अनुदान हेतु पात्र होंगे। 7. योजना अंतर्गत लाभान्वित संयुक्त परिवार अनुदान प्राप्ति दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक योजना अंतर्गत पुनः लाभ हेतु आवेदन नहीं कर सकेगा। —	7. (अ) बैंक ऋण से लिंकेज पर बैंक से इकाई स्थापना सत्यापन प्रमाण पत्र एवं अनुदान विमुक्त करने हेतु मांग पत्र तथा आवेदक से अनुबंध पत्र एवं इकाई स्थापना संबंधी आवश्यक दस्तावेज (सत्यापित फोटो, टेंगिंग, बीमा आदि) प्राप्त होने पर ही आवेदक अनुदान हेतु पात्र होगा। (ब) स्व वित्तीय आधार से प्रकरण तैयार किये जाने पर इकाई स्थापना सत्यापन हेतु निर्धारित समिति द्वारा इकाई स्थापना सत्यापन प्रमाण पत्र एवं अनुदान विमुक्त करने हेतु मांगपत्र तथा आवेदक से अनुबंध पत्र तथा इकाई स्थापना एवं सत्यापन संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज (सत्यापित फोटो, टेंगिंग, बीमा आदि) प्राप्त होने पर ही आवेदक अनुदान हेतु पात्र होंगे। 8. संयुक्त परिवार से एक ही व्यक्ति अनुदान हेतु पात्र होंगे। 9. योजना अंतर्गत लाभान्वित संयुक्त परिवार अनुदान प्राप्ति दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक योजना अंतर्गत पुनः लाभ हेतु आवेदन नहीं कर सकेगा। 10. योजना अंतर्गत अनुदान राशि व्यक्तिगत पात्रता के आधार पर निर्धारित होगी एवं किसी स्व-सहायता समूह अथवा पंजीकृत किसी संगठन के व्यक्तिगत सदस्य भी अनुदान प्राप्ति दिनांक से 5 वर्ष तक पुनः लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्र होंगे।
5	फंडिंग पैटर्न	1. ऋण स्वीकृति एवं वापसी हेतु बैंक से संबंधित समस्त शर्तें यथावत लागू होगी। 2. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार ब्याज दर तथा जमानत मानदण्ड लागू होंगे एवं ऋण वापसी की अवधि निर्धारित होगी। 3. अनुदान राशि बैंक-एण्डेड (Back-ended) सब्सिडी के रूप में जारी होगी, जिसे बैंक अपने नियमानुसार Lock-in period में रख सकते हैं।	1. ऋण स्वीकृति एवं वापसी हेतु बैंक से संबंधित समस्त शर्तें यथावत लागू होगी। 2. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार ब्याज दर तथा जमानत मानदण्ड लागू होंगे एवं ऋण वापसी की अवधि निर्धारित होगी। 3. (अ) अनुदान राशि बैंक-एण्डेड (Back-ended) सब्सिडी के रूप में जारी होगी, जिसे बैंक अपने नियमानुसार Lock-in period में रख सकते हैं। बैंक ऋण प्रकरणों में यह एकल एवं सामूहिक (स्व-सहायता समूह) दोनों में लागू होगी। (ब) अंशदान की व्यवस्था एवं बकरी इकाई हेतु बकरी शेड का निर्माण स्व वित्तीय आधार पर या अन्य शासकीय मद (मनरेगा आदि) या अन्य विभाग के योजनाओं से अभिसरण कर किये जाने वाले प्रकरणों में अनुदान राशि की पात्रता के बिन्दु कमांक 8 (ब) को पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही सहायता अनुदान राशि हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरित (डी.बी.टी.) किये जावेंगे। (स) स्व सहायता समूह के स्व वित्तीय प्रकरणों में सामूहिक बकरी पालन के लिये एवं स्व सहायता समूह के बैंक खाते में सहायता अनुदान राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किये जाने हेतु स्व सहायता समूह के हितग्राही सदस्यों को इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्व सहायता समूह के हितग्राही सदस्यों का प्रकरण एकल हितग्राही अनुसार मान्य कर सहायता अनुदान राशि हितग्राही सदस्यों के बैंक खातों में देय होगी। तथा योजना के अधीन समस्त शर्तें यथावत रहेगी।

क	घटक का नाम	पूर्व अनुमोदित योजना	संशोधन पश्चात योजना
		4. इकाई स्थापना की प्रोजेक्ट कॉस्ट (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) अधिक होने पर अनुदान अधिकतम राशि रु. 1.00 लाख पर ही देय होगा। 5. अनुदान प्रोजेक्ट कॉस्ट पर ही देय होगा, जो कि सामान्य / पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये अधिकतम राशि रु. 25000.00 अनु. जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये अधिकतम राशि रु. 33300.00 प्रावधानित है। —	4. इकाई स्थापना की प्रोजेक्ट कॉस्ट (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) से पृथक केवल उपरोक्तानुसार इकाई लागत अधिकतम राशि रु. 1.50 लाख पर ही सहायता अनुदान राशि देय होगी। 5. सहायता अनुदान राशि उपरोक्तानुसार इकाई लागत राशि रु. 1.50 लाख पर ही देय होगा, जो कि सामान्य / पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये अधिकतम राशि 0.375 लाख रु. एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये अधिकतम राशि 0.50 लाख रु. प्रावधानित है। 6. स्व सहायता समूह के प्रकरण स्वीकृत होने पर इकाई स्थापना एवं सत्यापन पश्चात सत्यापित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित सभी सदस्यों को श्रेणी अनुसार पृथक पृथक उपरोक्तानुसार व्यक्तिक सहायता अनुदान स्वीकृत कर अनुदान राशि देय होगी, तथा दिये गये समस्त उपबंधों एवं अनुबंध का पालन करना अनिवार्य होगा।
6	योजना का क्रियान्वयन	1. योजनांतर्गत अनुदान हेतु आवेदक द्वारा विकासखण्ड सीमा की निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था (पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई, पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, मुख्य ग्रामखण्ड) में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन का पंजीयन विकासखण्ड स्तरीय पशु चिकित्सा संस्था में किया जावेगा। — 2. आवेदन में आवेदक द्वारा सुझाये गये बैंक (शाखा) को विभाग द्वारा ऋण स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित किया जावेगा।	1. योजनांतर्गत अनुदान हेतु आवेदक द्वारा विकासखण्ड सीमा की निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था (पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई) में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन का पंजीयन विकासखण्ड स्तरीय पशु चिकित्सा संस्था में तथा जिला स्तर पर किया जावेगा। 2. हितग्राहियों का चयन— • हितग्राही/स्व सहायता समूहों का चयन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया जावेगा। • बकरी पालन व्यवसाय हेतु पंजीकृत अथवा पूर्व से बकरी पालन व्यवसाय कर रहे अथवा गौठान अन्तर्गत कार्यरत स्वसहायता समूहों के सदस्यों को सामूहिक बकरी पालन व्यवसाय हेतु चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। 3. आवेदन में आवेदक द्वारा सुझाये गये बैंक (शाखा) को विभाग द्वारा ऋण स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित किया जावेगा।

क	घटक का नाम	पूर्व अनुमोदित योजना	संशोधन पश्चात योजना
		3. आवेदक के पास पूर्व से पले हुये बकरा/बकरी को योजनान्तर्गत शामिल नहीं किया जावेगा। 4. संबंधित राष्ट्रीयकृत/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृति उपरांत पशुओं का कय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा।	4. आवेदक के पास पूर्व से पले हुये बकरे/बकरियों को योजनान्तर्गत शामिल नहीं किया जावेगा। 5. बैंक ऋण प्रकरणों में संबंधित राष्ट्रीयकृत/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृति उपरांत एवं स्व वित्तीय प्रकरणों में पशुओं का कय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा तथा निम्नानुसार इकाई स्थापना हेतु कार्य किया जावेगा - <u>1. बकरियों हेतु शेड निर्माण -</u> (अ) हितग्राही के पास बकरी इकाई के लिये दिये गये मापदण्ड अनुसार शेड होना अनिवार्य है। शेड नहीं होने की स्थिति में हितग्राही शेड निर्माण हेतु जनपद/जिला पंचायत (मनरेगा) में आवेदन कर सकेंगे या हितग्राही स्वयं के व्यय पर शेड निर्माण करेंगे। (ब) गौठान के स्वयं सहायता समूह या अन्य स्व सहायता समूह के हितग्राहियों द्वारा बकरी इकाई के लिये दिये गये मापदण्ड अनुसार शेड निर्माण हेतु जनपद/जिला पंचायत (मनरेगा या अन्य शासकीय मद) में आवेदन किया जा सकता है या स्वयं सहायता समूह के हितग्राहियों द्वारा स्वयं के व्यय पर मापदण्ड अनुसार शेड निर्माण कराया जावेगा। <u>2. पशु कय-</u> (अ) इकाई अंतर्गत 13 उन्नत नस्ल अथवा दिये गये वजन मापदण्ड अनुसार बकरियों का कय हितग्राही द्वारा किये जावेंगे। (ब) हितग्राही द्वारा दो उन्नत नस्ल का बकरों का कय शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्रों से अथवा अन्य निजी संस्था या पशु पालकों से किया जावेगा (बकरा एवं बकरियों के कय पर सहायता अनुदान राशि प्रदाय करने हेतु अधिकतम लागत राशि रु. 1.215 लाख पर देय होगी) (स) शासकीय बकरी प्रक्षेत्रों से बकरा अथवा बकरी खरीदी किये जाने पर योजना अनुसार कय लागत की सहायता अनुदान राशि प्रक्षेत्र को देय होगा। (द) कय किये जाने वाले पशु प्रजनन योग्य (1 से 1.5 वर्ष उम्र के) होने चाहिए। <u>3. बकरियों हेतु पोषण आहार का कय-</u> 13 बकरियों एवं 1 बकरे हेतु @250gm/day के दर से 3 माह हेतु पोषण आहार तथा बकरियों से उत्पादित संतति हेतु @125gm/day के दर से तीन माह हेतु पोषण आहार का कय स्थानीय बाजार से किया जायेगा। (पशु पोषण आहार के अधिकतम कय राशि कमशः बकरा बकरी हेतु पोषण आहार राशि 0.084 लाख रु. एवं मेमनों हेतु पोषण आहार राशि 0.037 लाख रु. पर ही सहायता अनुदान राशि देय होगी) <u>4. उपकरण कय-</u> बकरा एवं बकरी हेतु आवश्यक उपकरण कय हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा। <u>नोट-</u> पशु/आहार/उपकरण कय एवं बकरी इकाई का बीमा का एवं इकाई स्थापना से संबंधित नियमानुसार सत्यापन प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सत्यापन समिति, गोठान समिति एवं स्थानीय पशु चिकित्सक से प्राप्त होने के पश्चात सहायता अनुदान राशि का भुगतान डी.बी.टी.के माध्यम से किया जावेगा। 6. (अ) बैंक से ऋण लिंकेज के प्रकरणों में हितग्राही द्वारा पशु कय एवं घटकवार इकाई स्थापना पश्चात सत्यापन हेतु दल गठन वित्त पोषक बैंक प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। समिति में स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, हितग्राही एवं विकासखण्ड स्तर के कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष/सचिव सदस्य होंगे, इसके अतिरिक्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक/वित्त पोषक बैंक के द्वारा नामित सदस्य आवश्यकतानुसार शामिल किये जा सकेंगे। (ब) स्व वित्तीय आधार से प्रकरण तैयार किये जाने पर सत्यापन दल/समिति का गठन संयुक्त/उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ द्वारा किया जावेगा। समिति में स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, हितग्राही, विकासखण्ड स्तर के कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष/सचिव सदस्य शामिल होंगे एवं अन्य सदस्य भी आवश्यकता अनुसार शामिल किये जा सकेंगे।
		5. हितग्राही द्वारा पशु कय पश्चात सत्यापन हेतु दल गठन वित्त पोषक बैंक प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। समिति में स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ हितग्राही एवं विकासखण्ड स्तर के कृषि स्थायी समिति के सचिव सदस्य होंगे।	

क	घटक का नाम	पूर्व अनुमोदित योजना	संशोधन पश्चात योजना
		6. बैंक शाखा प्रबंधक या उनके नामित प्रतिनिधि सत्यापन समिति के अध्यक्ष होंगे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं पशु पालक द्वारा पशु कृषि के उपरांत सत्यापन प्रतिवेदन के साथ ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक संबंधी जिले के संयुक्त संचालक प.चि.से. को सबसीडी विमुक्त करने हेतु मांग पत्र प्रेषित करेंगे। जिसके आधार पर संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक प.चि.से. अनुदान राशि स्वीकृति कर बैंक को अनुदान राशि देंगे। — —	7. (अ) बैंक शाखा प्रबंधक या उनके नामित प्रतिनिधि सत्यापन समिति के अध्यक्ष होंगे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं पशु पालक द्वारा पशु कृषि के उपरांत सत्यापन प्रतिवेदन एवं समस्त दस्तावेजों के साथ ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक संबंधित जिले के संयुक्त/उप संचालक प.चि.से. को सहायता अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु मांग पत्र प्रेषित करेंगे। जिसके आधार पर संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक प.चि.से. सहायता अनुदान राशि स्वीकृत कर बैंक को सहायता अनुदान राशि डी.बी.टी. करेंगे। (ब) स्व वित्तीय प्रकरणों में निर्धारित सत्यापन समिति द्वारा पशु पालक द्वारा पशु कृषि एवं स्थापित बकरी इकाई के सत्यापन पश्चात सत्यापन प्रतिवेदन एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिले के संयुक्त/उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें को सहायता अनुदान राशि विमुक्त करने हेतु मांग पत्र प्रेषित करेंगे जिसके आधार पर संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सहायता अनुदान राशि स्वीकृत कर हितग्राही के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरित (डी.बी.टी.) करेंगे। 8. पशु चिकित्सकीय परामर्श एवं टीकाकरण— • स्वसहायता समूहों को वितरित बकरी इकाईयों की टेगिंग, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा एवं प्रतिबंधात्मक टीकाकरण आदि की जिम्मेदारी पशुधन विकास विभाग की स्थानीय संस्था की होगी। • प्रशिक्षण— चयनित हितग्राहियों/स्व-सहायता समूहों को बकरी पालन संबंधी प्रशिक्षण पशुधन विकास विभाग की स्थानीय संस्था द्वारा प्रदाय किया जावेगा। तथा बकरी इकाई स्थापना से पूर्व इकाई स्थापना संबंधित बकरी पालन व्यवसाय से संबंधित समस्त जानकारी स्थानीय संस्था द्वारा प्रदाय किया जावेगा। 9. उपरोक्तानुसार हितग्राही एवं संयुक्त/उपसंचालक के बीच अनुबंध किया जावेगा।



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध श्री/श्रीमती.....
 पिता/पति निवासी ग्राम वि.
 ख. जिला..... राज्य (हितग्राही) एवं
 संयुक्त/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला (स्वीकृतकर्ता) के मध्य
 दिनांक को संपादित किया गया।

1. यह कि अनुबंध राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत हितग्राही एवं स्वीकृतकर्ता के मध्य आपसी सहमति से योजनांतर्गत निहित प्रावधान अनुसार सफलतापूर्वक कार्य क्रियान्वयन हेतु संपादित किया जा रहा है।
2. यह कि हितग्राही राज्य बकरी उद्यमिता योजनांतर्गत क्य किये गये पशुओं का उचित प्रबंधन, प्रजनन, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण सुनिश्चित करेगा।
3. यह कि हितग्राही पशु से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने समुचित मात्रा में चारा, दाना पशु को प्रदाय करेगा।
4. यह कि हितग्राही, बकरी के सुनियोजित व उन्नत प्रजनन हेतु कृत्रिम/प्राकृतिक गर्भाधान कार्य संपादित करेगा तथा क्यित बकरों को 3 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा और न ही उसका वध करेगा।
5. यह कि हितग्राही पशु की स्वास्थ्य रक्षा हेतु बीमारी से बचाव के लिए समयबद्ध विभिन्न टीकाकरण संपादित करायेगा तथा बीमारी की अवस्था में यथोचित उपचार करावेगा।
6. यह कि हितग्राही द्वारा योजनांतर्गत क्य किये गये बकरी इकाई की अनुपातिक संख्या (बकरा एवं बकरियाँ क्रमशः 2 एवं 13) को 5 वर्ष तक सतत बनाये रखा जावेगा।
7. यह कि हितग्राही द्वारा प्रबंधन, प्रजनन, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण संबंधी पंजियों का संधारण किया जावेगा तथा पशु चिकित्सा सेवायें के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अवलोकन करवाएगा।
8. यह कि हितग्राही इकाई पर आय, व्यय का लेखा अद्यतन रखेगा।
9. यह कि हितग्राही द्वारा बकरे/बकरियों का बीमा अद्यतन किया जावेगा।
10. यह कि हितग्राही द्वारा इकाई स्थापना पश्चात सहायता अनुदान राशि प्राप्ति दिनांक से अगले 5 वर्षों तक योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अन्य लाभार्थी या हितग्राहियों को योजनान्तर्गत मापदण्ड अनुसार दिये गये दर पर बकरी एवं बकरा विक्रय किये जाने की बाध्यता रहेगी।

स्थान :

दिनांक :

हितग्राही के हस्ताक्षर

स्वीकारकर्ता के हस्ताक्षर

गवाह

(1) हस्ताक्षर
 नाम

(2) हस्ताक्षर
 नाम

10